

Before,
The Director,
Pranveer Singh Institute of Technology,
N.H.2, Bhauti, Kanpur – 208020

1. I, S/o/D/o
....., having been admitted to
....., have received a copy (which is
also available on the website of institution) of judgment and directions of HON'BLE SUPREME
COURT OF INDIA regarding Anti Ragging Guidelines in educational institutions (IN THE
SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF
2009: UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES,
KERALA AND ORS – RESPONDENTS) and also have received a copy of AICTE notification and
the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions,
2010, (hereinafter called the "Regulations") and The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in
Educational Institutions Act, 2010 (hereinafter called the "Act") and have carefully read and
fully understood the provisions contained in the said Regulations and Act.
2. I have, in particular, perused various clauses of AICTE notification, regulations and various
sections of the Act and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused various clauses of the regulations, AICTE notification, and
Sections 2(d), 5 and 6 of the Act, and am fully aware of the penal and administrative action
that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or
passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby, solemnly aver and undertake that :
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under various

clauses of AICTE notification, Regulations and section 2 (d) of the act.

- b) I will not participate in or abet or propagate through an act of commission or omission that may be constituted as ragging under various clauses of AICTE notification, Regulations and section 2(d) of the Act.
- 5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I will be liable for punishment in accordance with various clauses of AICTE notification, regulations and sections 5 and 6 of the Act, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6. I hereby, declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.
- 7. I hereby, undertake that the foregoing paras shall be operational during my studies in the institute.

Declared this day of month of year.

Deponent

Name :

Address :

Tel. No./Mob. No.

Verification

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.....on this the ofmonth,year.

Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the of, year after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Before,

The Director,

Pranveer Singh Institute of Technology,

N.H.2, Bhauti, Kanpur – 208020

1. I, S/o/D/o
..... and Father/Mother/Guardian
of, who having been admitted to
....., have received a copy (which is
also available on the website of institution) of judgment and directions of HON'BLE SUPREME
COURT OF INDIA regarding Anti Ragging Guidelines in educational institutions (IN THE
SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF
2009: UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES,
KERALA AND ORS – RESPONDENTS) and also have received a copy of AICTE notification and
the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions,
2010, (hereinafter called the "Regulations") and The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in
Educational Institutions Act, 2010 (hereinafter called the "Act") and have carefully read and
fully understood the provisions contained in the said Notification, Regulations and Act.
2. I have, in particular, perused various clauses of AICTE notification, regulations and various
sections of the Act and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused various clauses of the regulations, AICTE Notifications and
Sections 2(d), 5 and 6 of the Act, and am fully aware of the penal and administrative action
that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging
actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby, solemnly aver and undertake that :

- a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under various clauses of AICTE notification, Regulations and Sections 2(d) of the Act.
- b) My ward will not participate in or abet or propagate through an act of commission or omission that may be constituted as ragging under various 4 of AICTE notification, the Regulations and section 2(d) of the Act.
- 5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment in accordance with various clauses of AICTE notifications, regulations and sections 5 and 6 of the Act, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.
- 6. I hereby, declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.
- 7. I hereby, undertake that the foregoing paras shall be operational during the studies of my ward in the institute.

Declared this day of month of year.

Deponent

Name :

Address :

Tel. No./Mob. No.

Verification

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.....on this the ofmonth,year.

Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the of, year after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

समक्षा : श्रीमान् निदेशक महोदय

प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी

एन.एच.2 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2)

भौती, कानपुर 208020

शपथपत्र द्वारा.....वयस्क पुत्र/पुत्री निवासी.....

शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ :

- 1 यह कि मुझ उपरोक्त शपथकर्ता कोमें प्रवेश प्रदान कर दिया गया है । मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने व निषेध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009 : UNIVERSITY OF KERALA - APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES , KERALA AND ORS - RESPONDENTS) जो कि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा जारी अधिसूचना तथा यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार की रैगिंग रोकने, निषेध करने सम्बन्धी विनियम 2010 (जो कि आगे विनियम कहा जायेगा) तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिशोध अधिनियम 2010 (जो कि आगे अधिनियम कहा जायेगा) की प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं तथा उन्हें सर्तकतापूर्वक,

सावधानीपूर्वक भली भॉति पढ़ लिया है तथा इन अधिसूचनाओं, विनियमों तथा अधिनियमों के समस्त प्रावधान पूर्णतया भली भॉति समझ लिये हैं ।

- 2 मैंने विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धाराएँ/ अनुच्छेद, विनियम के अनुच्छेद/धारा तथा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेद व धाराएँ ध्यान से भली भॉति पढ़ लिए हैं एवं मैं रैंगिंग की व्यापक परिभाषा से भली भॉति अवगत हूँ ।
- 3 इसके साथ ही मैंने विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न अनुच्छेद /धाराएँ, विनियम की धाराएँ/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.) , 5 तथा 6 भली भॉति ध्यानपूर्वक, सर्तकतापूर्वक व सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं तथा यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैंगिंग करने या रैंगिंग उकसाने, भड़काने, बढ़ावा देने, सहयोग देने, दुष्प्रेरित करने या रैंगिंग के दुष्प्रचार करने, बढ़ावा देने ,सहायता करने के षडयन्त्र में दोषी पाया जाता / पायी जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध जो दण्डात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिसका मैं भागी /अधीन हूँगा/हूँगी, उससे मैं भली भॉति पूर्णतया अवगत हूँ ।
- 4 मैं एतद्वारा, दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक कहते हुए स्वयं को वचनबद्ध करता हूँ कि :
 - (अ) मैं अपने किसी आवरण या कृत्य द्वारा ऐसे किसी कार्य में कतई लिप्त नहीं हूँगा जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) की अधिसूचना की धारा /अनुच्छेद, विनियम की धारा /अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा / अनुच्छेद 2 (डी.), 5 तथा 6 के अन्तर्गत रैंगिंग का गठन करता हो या रैंगिंग हो या रैंगिंग से किसी भी प्रकार से सम्बंधित हो।
 - (ब) मैं अपने किसी आवरण क्रिया, कृत्य, कार्य द्वारा या किसी लोप या तूक द्वारा ऐसे कार्य कलापो में कतई भाग नहीं लूँगा/लूँगी या रैंगिंग अपराध करने में सहयोग, दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, सहायता, बढ़ावा कतई नहीं दूँगा/दूँगी या ऐसे प्रचार, प्रसार उत्पन्न, बढ़ाने, फैलाने में भाग कतई नहीं लूँगा/लूँगी जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धाराएँ/अनुच्छेद, विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.) के अन्तर्गत रैंगिंग का गठन करते हों या रैंगिंग के अन्तर्गत आते हों ।
- 5 मैं एतद्वारा वचन/ प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि मैं रैंगिंग करने का दोषी पाया जाता/जाती हूँ तो मैं ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की धाराओं /अनुच्छेदों, विनियमों की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 5 व 6 के अनुसार दण्ड के अधीन हूँगा/हूँगी तथा मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य आपराधिक प्रक्रिया / कार्यवाही के अधीन भी हूँगा/हूँगी जो कि दण्ड सम्बन्धी किसी विधि या तत्समय प्रवृत्त / लागू किसी विधि के अनुसार होगा।
- 6 मैं एतद्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मुझे देश में किसी भी संस्थान के द्वारा , रैंगिंग करने का दोषी पाये जाने के कारण या रैंगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता

करने के कारण या रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के षडयन्त्र में भाग लेने के कारण न तो निष्कासित किया गया है तथा न ही बहिष्कृत किया गया है । साथ ही, मैं यह भी वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि यह उद्घोषणा / घोषणापत्र असत्य पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त करने के अधीन होगा ।

7 मैं एतद्वारा वचनबद्ध होता/होती हूँ कि संस्थान मे मेरे अध्ययन काल में, इस शपथपत्र के पूर्ववर्ती पैरा/ अनुच्छेद लागू रहेंगे/प्रवृत्त रहेंगे ।

.....दिनांकमास.....वर्ष.....में घोषित किया ।

.....शपथकर्ता/शपथकर्ती

नाम.....

पता.....

टेलीफोन/मोबाइल नं०

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि इस शपथपत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में सही है। इस शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है तथा उसमें कोई भी तथ्य छुपाया या गलत बयान नहीं किया गया है ।

.....दिनांकमास.....वर्ष.....कोमें सत्यापित किया गया ।

.....शपथकर्ता/शपथकर्ती

मेरे समक्ष इस शपथपत्र के तथ्यों को पढ़ने के पश्चातदिनांकमास.....वर्ष.....
.....को शपथपूर्वक हस्ताक्षरित एवं अभिकथित किया गया ।

.....नोटरी/ओथ कमिश्नर

समक्षा : श्रीमान् निदेशक महोदय
प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी
एन.एच.2 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2)
भौती, कानपुर 208020

शपथपत्र द्वारा.....पुत्र/पुत्रीतथा के माता/पिता/
अभिभावक/ संरक्षक, निवासी.....।शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ :

१. यह कि मुझ उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती के पुत्र/पुत्री कोमें प्रवेश प्रदान कर दिया गया है । मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग को रोकने व निषेध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009 : UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES , KERALA AND ORS – RESPONDENTS) जो कि संस्थान की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है तथा ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा जारी अधिसूचना तथा यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार की रैंगिंग रोकने, निषेध करने सम्बन्धी विनियम 2010 (जो कि आगे विनियम कहा जायेगा) तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग का प्रतिशोध अधिनियम 2010 (जो कि आगे अधिनियम कहा जायेगा) की प्रतियाँ प्राप्त कर ली है तथा उन्हें सर्तकतापूर्वक, सावधानीपूर्वक भली भाँति पढ़ लिया है तथा इन अधिसूचनाओं ,विनियमों तथा अधिनियमों के समस्त प्रावधान पूर्णतया भली भाँति समझ लिये हैं ।

- 2 मैंने विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धाराएँ/ अनुच्छेद, विनियम के अनुच्छेद/धारा तथा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेद व धाराएँ ध्यान से भली भाँति पढ़ लिए हैं एवं मैं रैगिंग की व्यापक परिभाषा से भली भाँति अवगत हूँ।
- 3 इसके साथ ही मैंने विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न अनुच्छेद /धाराएँ, विनियम की धाराएँ/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.), 5 तथा 6 भली भाँति ध्यानपूर्वक, सर्तकतापूर्वक व सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं तथा यदि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग करने या रैगिंग उकसाने, भड़काने, बढ़ावा देने, सहयोग देने, दुष्प्रेरित करने या रैगिंग के दुष्प्रचार करने, बढ़ावा देने, सहायता करने के षडयन्त्र में दोषी पाया जाता / पायी जाती है तो उसके विरुद्ध जो दण्डात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिसका वह भागी / अधीन होगा / होगी, उससे मैं भली भाँति पूर्णतया अवगत हूँ ।
- 4 मैं एतद्वारा, दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक कहते हुए स्वयं को वचनवद्ध करता हूँ कि :
- (अ) मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) वह अपने किसी आवरण या कृत्य द्वारा ऐसे किसी कार्य मे लिप्त कतई नहीं होगा जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की धारा/अनुच्छेद, विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा /अनुच्छेद 2 (डी) 5 तथा 6 के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करता हो या रैगिंग हो या रैगिंग से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित हों ।
- (ब) मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) वह अपने किसी आवरण किया, कृत्य, कार्य द्वारा या किसी लोप या चूक द्वारा ऐसे कार्य या लोप में कतई भाग नहीं लेगा/लेगी या रैगिंग अपराध करने में सहयोग, दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, सहायता, बढ़ावा कतई नहीं देगा / देगी या ऐसे प्रचार, प्रसार, उत्पन्न, बढ़ाने, फैलाने में भाग कतई नहीं लेगा / लेगी जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धाराएँ / अनुच्छेद, विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.) के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करते हों या रैगिंग के अन्तर्गत आते हों ।
- 5 मैं एतद्वारा वचन / प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) वह रैगिंग करने का दोषी पाया जाता/जाती है तो वह ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की धाराओं /अनुच्छेदों , विनियमों की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 5 व 6 के अनुसार दण्ड के अधीन होगा/होगी तथा वह बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य अपराधिक प्रक्रिया /कार्यवाही के अधीन भी होगा/होगी जो कि दण्ड सम्बन्धी किसी विधि या तत्सम्य प्रवृत्त / लागू किसी विधि के अनुसार होगा ।
- 6 मैं एतद्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) वह देश में किसी भी संस्थान के द्वारा रैगिंग करने का दोषी पाये जाने के कारण या

रैंगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के कारण या रैंगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के षडयन्त्र में भाग लेने के कारण न तो निष्कासित किया गया / गयी है तथा न ही बहिष्कृत किया गया / गयी है । साथ ही, मैं यह भी वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि यह उद्घोषणा /घोषणापत्र असत्य पाया जाता है तो मेरी संरक्षकता में जो छात्र / छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) उसका प्रवेश निरस्त करने के अधीन होगा ।

9. मैं एतद्वारा वचनबद्ध होता/होती हूँ कि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है) संस्थान मे उसके अध्ययन काल में , इस शपथपत्र के पूर्ववर्ती पैरा/ अनुच्छेद लागू रहेगें/प्रवृत्त रहेगें ।

.....दिनांकमास.....वर्ष.....में घोषित किया ।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

फोन/मो. नं०

मेरे समक्ष इस शपथपत्र के तथ्यों को पढ़ने के पश्चातदिनांकमास.....वर्ष.....
...को शपथपूर्वक हस्ताक्षरित एवं अभिकथित किया गया ।

नोटरी/ओथ कमिश्नर